भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 78

जिसका उत्तर दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 को दिया जाना है

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

78. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी
श्री अवतार सिंह भडाना
श्री आदि शंकर
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल) कोटा ने लघु उद्योग (एसएमआई) की इकाइयों पर लागू भुगतान आदेश के विभिन्न खंड, जिनका उपयोग उनसे सामान खरीदने के लिए किया जाता है, का पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या मैसर्स आईएल ने न तो सामान लौटाया और न ही लघु उद्योग इकाइयों को भुगतान किया जिससे उन्हें बहुत वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क)और(ख) कंपनी के रुग्ण होने तथा बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित संशोधित पुनरुद्धार योजना (एमआरएस-10) के आंशिक कार्यान्वयन के कारण समय और लागत में वृद्धि के कारण, कंपनी गंभीर वित्तीय संकट और निधियों की भारी कमी का सामना कर रही है। कुछ मुख्य ऑर्डर भी रद्द कर दिए गए हैं या पंचनिर्णय के अधीन हैं जिसके कारण कंपनी की कार्यशील पूंजी फंस गई है। इन सब को देखते हुए, कुछ आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान जारी करने में विलंब हुआ है।

(ग)और(घ) लघु उद्योग इकाइयों से सामान स्वीकार कर लिया गया था, परन्तु कुछ लघु उद्योग इकाइयों को इसके लिए भुगतान (क) और (ख) में उल्लिखित कारणों से नहीं किया जा सका। सरकार ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के प्रबंधन को बकाया देयताओं का भुगतान अविलंब करने का निदेश दिया है।

*****